**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4026**

**(दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए)**

**डिजिटल मीडिया का विनियमन**

**4026. डॉ. आलोक कुमार सुमनः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) देश में सरकारी संचार मंचों की प्रभावशीलता कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिजिटल मीडिया के विनियमन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) फिल्म और मीडिया उद्योग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ङ) अंतरराष्ट्रीय मीडिया सहयोग की स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**

**(डॉ. एल. मुरूगन)**

(क) से (ङ): पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार की प्रमुख सूचना प्रसार एजेंसी के रूप में, विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विभिन्न रूपों में समयबद्ध, विश्वसनीय और सटीक संचार के संप्रेषण को सुगम बनाता है। प्रसार भारती लोक सेवा प्रसारण के अधिदेश को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों सहित अनेक भाषाओं में सूचना का प्रसार किया जाता है।

सरकार ने अपने कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित फर्जी खबरों को कम करने के लिए पीआईबी में एक फैक्ट चैक यूनिट (एफसीयू) स्थापित की है। एफसीयू एक संरचित तथ्य-जाँच प्रक्रिया के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और

अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों से संबंधित दावों का सत्यापन करती है। यह सत्यापित सूचना का प्रसार विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से करती है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सत्यापित सूचना का आगे और प्रसार करते हैं। डीडी न्यूज़ प्रसारण से पहले कठोर तथ्य-जाँच, अनेक विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से क्रॉस-वेरिफिकेशन तथा संपादकीय जाँच से युक्त बहु-स्तरीय संपादकीय प्रक्रिया का पालन करता है। भ्रामक सूचना और झूठे नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए पीआईबी तथ्य जांच की सामग्री को नियमित रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्मों में शामिल किया जाता है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में मध्यस्थों के लिए समुचित सावधानी संबंधी दायित्व निर्धारित किए गए हैं तथा डिजिटल समाचार के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। इन नियमों के तहत स्व-विनियामक निकाय और एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन तथा केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र शामिल है।

सरकार फिल्मी सामग्री के विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम, इंडिया सिने हब (आईसीएच) और राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से फिल्म और मीडिया क्षेत्र को बढ़ावा देती है। डीसीडीएफसी स्कीम के तहत फिल्म समारोहों, भारतीय सिनेमा के संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, संरक्षण तथा संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंडिया सिने हब सिंगल-विंडो तंत्र के माध्यम से फिल्म शूटिंग की अनुमतियों को सुगम बनाता है और भारत को फिल्मांकन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देता है। एनएफएचएम भारत की सिनेमाई विरासत के संरक्षण, पुनर्स्थापन, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण का कार्य करता है।

सरकार मीडिया और प्रसारण के क्षेत्र में अपनी वैश्विक सहभागिता को सुदृढ़ करके अंतरराष्ट्रीय मीडिया सहयोग को बढ़ावा देती है।

सरकार ने मई 2025 में मुंबई में प्रथम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स 2025) का आयोजन किया। यह “क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड” पहल के माध्यम से भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण का केंद्र बनाने की परिकल्पना के अंतर्गत मीडिया और

मनोरंजन क्षेत्र को एक साथ ले आया। इस शिखर सम्मेलन ने 100 से अधिक देशों के वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, ओटीटी प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों के साथ भारतीय किएटर्स, निर्माताओं और स्टार्टअप्स को सहभागिता करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया।

प्रसारण क्षेत्र में, प्रसार भारती अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों के साथ सामग्री साझा करने की व्यवस्थाओं तथा सहभागी संगठनों के साथ प्रसारण संबंधी करारों के माध्यम से विश्व भर के प्रसारण संगठनों के साथ सक्रिय सहभागिता करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों के प्रसारकों के साथ प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसके 48 सक्रिय समझौता ज्ञापन (एमओयू) हैं, जो सामग्री, व्यावसायिक विशेषज्ञता और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाते है।

****